न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 403/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
कानसिह पुत्र स्व0 मलसिह जाति राजपूत निवासी गांव भोमसागर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर		1– श्रीमती भीखीकंवर पुत्री स्व0 मलसिह जाति राजपूत निवासी गांव भोमसागर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 2– श्रीमती सिरेकंवर पुत्री स्व0 मलसिह जाति राजपूत निवासी गांव भोमसागर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 3– गायडसिह पुत्र स्व0 मलसिह जाति राजपूत निवासी भोमसागर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 4– परबतसिह पुत्र स्व0 मलसिह जाति राजपूत निवासी गांव भोमसागर, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 5– हुकमसिह पुत्र स्व0 किशोरसिह जाति राजपूत निवासी गांव चाबा, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 6– मानसिह पुत्र स्व0 किशोरसिह जाति राजपूत निवासी गांव चाबा, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 7– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शेरगढ 8– ग्राम पंचायत भोमसागर, जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 13–7–2011 जो राजस्व अपील संख्या 25/2008 अनवान श्रीमती भीखी कंवर व अन्य बनाम गायड सिह वगैरा मे उपखण्ड अधिकारी शेरगढ द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री उम्मेद सिह बावरला अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री एल.आर.पूनिया अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 8–11–2017

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भोमसागर तहसील शेरगढ के नामांतरकरण संख्या 314 मे वर्णित खसरा नंबरान 774 एवं 779 की कुल 222.15 बीघा भूमि खातेदार मलसिह पुत्र मोतीसिह राजपूत सा0 देह के खातेदारी

की थी । उक्त खातेदार मल सिह के फौत होने पर उक्त खातेदारी की भूमि का फोतेदगी का नामांतरकरण संख्या 314 उतराधिकारियो के रूप मे उसके तीन पुत्रगण गायडसिह, कानसिह एवं पर्वतसिह पि0 मलसिह के नाम दर्ज कर सरपंच ग्राम पंचायत भोमसागर पंचायत समिति शेरगढ द्वारा दिनांक 28–4–2008 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 314 के विरूद्ध वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 1 व 2 श्रीमती भीखीकंवर एवं सीरेकंवर पुत्रियां स्व0 मलसिह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शेरगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय 13–7–2011 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 314 ग्राम भोमसागर को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को मृतक खातेदार मलसिह के वारिसानो की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया । जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील स्पष्ट रूप से मयाद बाहर थी तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को प्रारंभ से ही थी इसके बावजुद उक्त म्युटेशन की प्रथम बार जानकारी होने के गलत एवं झुंले तथ्य धारा 5 मयाद अधिनियम मे उल्लेखित होने के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रथम अपील को अंदर यमाद सुमार करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय से उनके कोई नोटिस तामिल ही नही हुए थे और न ही अपीलांट की ओर से पैरवी करने हेतु किसी अधिवक्ता को नियुक्त किया था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे यदि अधिवक्ता श्री हनवंतसिह ने पत्रावली पर नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर भी दिया तो अधीनस्थ न्यायालय को न्यायहित मे इसकी सूचना बाबत अपीलांट को नोटिस दिया

जाना चाहिये था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा नही कर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय आदेश पारित करने मे विधिक भूल की है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी तथा वे अपने परिवार के साथ ससुराल मे रहती है तथा अपीलाधीन भूमि पर रेस्पो0 संख्या 1 व 2 का कभी कब्जा काश्त ही नही रहा था तथा यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 स्वीकृत होने के बाद नामांतरकरण संख्या 365 भी स्वीकृत हो चुका था परंतु रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने केवल म्युटेशन संख्या 314 को ही अपील के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है जबकि दोनो म्युटेशनो के विरू;द्ध पृथक–पृथक दो अपील पेश की जानी चाहिये थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एक अपील पर पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2011 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 जो कि खातेदार मलसिह वल्द मोतीसिह के फौत होने पर विरासत का भरा जाकर स्वीकृत किया गया था जिसमे मृतक के पुत्रो के साथ रेस्पो0 संख्या 1 व 2 भीखीकंवर एवं सीरेकंवर जो कि मृतक खातेदार मलसिह की जांयदा पुत्रियां तथा विधिक वारिसान है, उनका नाम उक्त म्युटेशन मे दर्ज नही कर केवल तीन पुत्रो के नाम दर्ज करते हुए स्वीकृत कर दिया, जो प्रांरभ से ही विधिविरूद्ध था इसलिए उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 314 ग्राम भोमसागर को खारीज करते हुए प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को मृतक खातेदार मलसिह के वारिसानो की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 जो कि विरासत का भरा जाकर स्वीकृत किया गया था उसमे रेस्पो0 संख्या 1 व 2

मृतक खातेदार मलसिह की जांयदा पुत्रियां तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की प्रथम श्रेणी की वारिसान होते हुए उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना ही स्वीकृत कर दिया था जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत होने से ऐसे आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने हेतु मयाद का कोई बिन्दु लागू ही नही होता है इसलिए अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 अधिवक्ता ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय मे अधिवक्ता श्री हनवंतसिह द्वारा वर्तमान अपीलांटगण की ओर से वकालातनामा ही पेश नही किया था तो ऐसे मामलो मे यदि अधिवक्ता द्वारा नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड कर भी दिया जाता है, तो न्यायालय से इसकी सूचना अपीलांट को दी जाना आवश्यक नही है इसलिए अपीलांट का यह कथन समर्थन योग्य नही होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन निर्णय तथा अपीलाधीन म्युटेशन आदि का अध्ययन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 314 जो कि खातेदार मलसिह के फौत होने पर उसके हिस्से की भूमि बाबत उतराधिकार का म्युटेशन उनके पुत्रो के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया था जबकि वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 भीखीकंवर एवं सीरेकंवर भी मृतक खातेदार मलसिह की पुत्रियां होने से उनको पिता की सम्पति से वंचित रखते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 314 स्वीकृत कर दिया, जो विधिसम्मत नही होने से उक्त म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन संख्या 314 को निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार शेरगढ को मृतक खातेदार मलसिह के वारिसानो की जांच कर नये सिरे से नामांतरकरण दर्ज करने की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया है, उक्त आदेश समर्थन योग्य प्रतीत होता है । वर्तमान द्वितीय अपील मे अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट को सुने बिना अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया ।

इस संबंध मे यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के तहत अपीलांट तहसीलदार शेरगढ के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है । फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे इस आशय का

आंशिक संशोधन करना उचित समझते है कि तहसीलदार शेरगढ उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात पुनः म्युटेशन के संबंध मे विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13–7–2011 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 8–11–2017 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

।